प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० निग० 1746-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-4-14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० प्रकरणक्रमांक 476/निग०/अ-6/2007-2008.

श्रीमती अभिलाषा पत्नी श्री नंदकिशोर यादव
निवासीगण राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० अन्य-4 --- आवेदकगण

विरूद्ध

बृजकिशोर तनय भगवाना दास अहीर
निवासी ग्राम राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० अन्य-8 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1746 / तीन / 2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

12.8.14

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 476/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.4.2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार राजनगर व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 12–3–2007 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील की गई थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–2–2007 से तहसीलदार के विधिवत् दिये गये आदेश पर स्थगन देने में भूल की गई और जब अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 28/06–07 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–07 के विरूद्व अपर कलेक्टर के यहॉ निगरानी की गई, तब अपर कलेक्टर ने निगरानी अस्वीकार करने में त्रृटि की है क्योंकि उन्हें मामले की तह में जाकर न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश को निरस्त करना था, इसलिये निगरानी सुनवाई में लेकर अपर कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों के कियान्वयन को रोकते हुये संहिता की धारा 52 का आवेदन स्वीकार किया जावे।

4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–2007 से तहसीलदार के आदेश

दिनांक 12–3–07 के कियान्वयन को स्थगित करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है एंव अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं मानने में भूल की गई है ?

" भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–52 – रोक आदेश देने की शक्ति का प्रयोग – रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का तात्पर्य है कि अपीलार्थीगण के मामले में प्रथम दृष्टया कानूनी मुद्दा निहित है, तब रोक का आदेश न्यायालय स्वविवेक से दे सकेगा। "

अनुविभागीय अधिकारी राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक 28/06–07 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–07 का अपर कलेक्टर, छतरपुर ने भलीभॉति परीक्षण कर निष्कर्ष दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 28–3–07 में किसी भी दृष्टिकोण से दोष नहीं है और उन्होंने आदेश दिनांक 30.4.2014 से निगरानी निरस्त की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2014 विधिवत् पाये जाने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य